<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)</u>

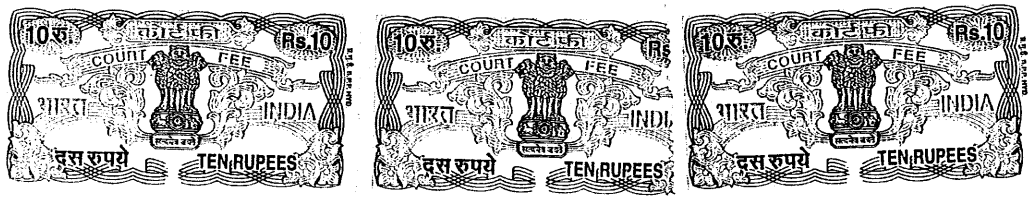

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

R 4394-II-16

श्री आर.एस. लोधी द्वारा आज दि. 30-12-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 30/12/16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

दिलीप कुमार सीरवानी तनय स्व0दयाराम सिन्धी, निवासी बैजू धर्मशाला के पास रीवा, जिला रीवा म0प्र0--<u>निगराकार</u>

<u>बनाम</u>

1. कु0ईश्वरी अक्षरा पुत्री स्व0मुरलीधर अक्षरा
2. कु0सुनीता अक्षरा पुत्री स्व0मुरलीधर अक्षरा,
   दोनो निवासी अस्पताल रोड सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0
3. गोपीचन्द्र सीरवानी तनय स्व0किशनचन्द्र सीरवानी
4. संजय सीरवानी तनय स्व0किशनचन्द्र सीरवानी
5. श्रीमती निशा बेवा पत्नी स्व0सुनील कुमार सीरवानी
6. चिंकी उर्फ नम्रता पुत्री स्व0सुनील कुमार सीरवानी
7. डिंकी उर्फ श्वेता पुत्री स्व0सुनील कुमार सीरवानी जरिये नाबालिग बली सरपरस्त माँ निशा सीरवानी, निवासी कंवरराम टाकीज के पास सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0----------------------------------<u>गैर निगराकारगण</u>

R.S. Lodhi
आर.एस. लोधी
एडवोकेट
ग्वालियर
30-12-16

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 का0मा0 विरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय सतना जिला सतना आदेश दिनांक 20.10.2016 के आंशिक भाग क्रय विक्रय अंतरण न किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :-

<u>**संक्षिप्त तथ्य**</u>

निगराकार द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक-1107/3/2011 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2012 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक-19332/12 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2014 के परिपालन में विचारण न्यायालय नजूल अधिकारी सतना के आदेश दिनांक 05.08.16 के सम्बन्ध में कैवियट आवेदन पत्र धारा 148-ए जा0दी0 का इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि वरिष्ठ न्यायालयों के आदेश के परिपालन में विचारण न्यायालय द्वारा जो रिकार्ड अद्यतन किये जाने का आदेश पारित किया गया है वह धारा 56 का0मा0 के अन्तर्गत अपीलीय आदेश नहीं है जिससे नजूल अधिकारी

Conti.........2

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 4397—।।/2016 निगरानी जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6—1—2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर. एस. सेंगर द्वारा यह निगरानी आवेदन पत्र कलेक्टर सतना के प्र0क0 72/अपील/2015—16 में पारित अन्तिरिम आदेश दिनांक 20—10—2016 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता—1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2— प्रकरण का सारॉश यह है कि, आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व मण्डल के प्र0क0 1107—।।।/11 मे पारित आदेश दिनांक 18—9—12 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका कमांक 19332/12 में पारित आदेश दिनांक 27—1—14 के पालन में नजूल अधिकारी सतना के आदेश दिनांक 5—8—16 के संबंध में कैवियेट आवेदन धारा 148—ए का प्रस्तुत किया जाकर वरिष्ठ न्यायालयों के आदेश के पालन में विचारण न्यायालय द्वारा जो रिकार्ड अधतन किये जाने का आदेश पारित किया गया है वह धारा 56 का.मा. के अन्तर्गत अपीलीय आदेश नहीं है जिससे नजूल अधिकारी के आदेश दिनांक 5—8—16 के संबंध में जो अपील अनावेदक क—1व 2 द्वारा पेश की गयी है वह प्रचलनशील नहीं है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने कैवियेट एवं अपील की ग्राहयता के संबंध में तर्क सुने बिना दिनांक 31—8—16 को आदेश दिनांक 8—5—16 के परिपेक्ष्य में जो रिकार्ड दुरूस्तगी करा दी गयी है उसे पूर्ववत किये जाने का ओदश कर दिया गय, जिससे विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्र0क0 3147—।।/16 प्रस्तुत की गयी, जिसमें पारित आदेश के द्वारा कलेक्टर सतना का आदेश दिनांक 31—8—16 निरस्त किया जाकर, दिनांक 31—8—16 के पूर्व की स्थिति कायम किये जाने एवं कैवियेट तथा अपील की ग्राहयता किये जाने के संबंध में आदेशित किया गया। आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के	

आदेश दिनांक 21–9–16 की प्रति प्रस्तुत की जाकर आदेश का पालन कराये जाने का निवेदन किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल के आदेश का पालन रिकार्ड पर अधतन किये जाने का आदेश दिनांक 20–10–16 को पारित किये जाने के पश्चात पुनः कैवियेट एवं अपील की ग्राहयता के संबंध में सुनवाई किये बिना अनावेदक क्र–1 व 2 के आवेदन का जबाव लिए बिना अन्तिरिम आदेश दिनांक 20–10–16 पारित कर क्रय विक्रय अंतरण के संबंध में स्थगन आदेश पारित किया गया है। इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि, आवेदक द्वारा इस न्यायालय के निगरानी प्र0क0 3147/III/16 में पारित आदेश दिनांक 21–9–16 जिसमें अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31–8–16 निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति दुरूस्त किये जाने एवं कैवियेट पर बैधानिक रूप से सुनवाई किये जाने का आदेश दिया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21–9–16 का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है जो अवमानना के अन्तर्गत है। इस कारण विक्रय पत्र के संबंध में जो पुनः स्थगन आदेश जारी किया गया है किसी भी दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का विक्रय पत्र अंतरण संबंधी आदेश दिनांक 20–10–16 निरस्त किया जाकर, प्रकरण कैवियेट आवेदन–पत्र पर सुनवाई किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हों।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर